Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में सहकारी उपभोक्ता हॉलसेल भण्डार के फार्मासिस्ट (संविदाकर्मी) को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *10 अप्रैल।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की बूंदी इकाई द्वारा आज शनिवार को कार्यवाही करते हुये राजकीय सामान्य चिकित्सालय, बूंदी के सहकारी उपभोक्ता हॉलसेल भण्डार के फार्मासिस्ट (संविदाकर्मी) इन्द्रराज को परिवादी से 25 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. बूंदी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी की दवा कम्पनी की दवाइयाँ सहकारी उपभोक्ता की दूकानों पर सप्लाई करने की एवज में 30 प्रतिशत कमीशन के रूप में लेने हेतु इन्द्रराज फार्मासिस्ट (संविदाकर्मी) सहकारी उपभोक्ता हॉलसेल भण्डार, बूंदी द्वारा 25 हजार रुपये की राशि रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की बूंदी इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री ज्ञानचन्द** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री ताराचन्द एवं उनकी टीम** के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये इन्द्रराज पुत्र श्री भंवरलाल निवासी हनुमान कालोनी, गौशाला के सामने, नैंनवा रोड, बूंदी हाल फार्मासिस्ट (संविदाकर्मी) सहकारी उपभोक्ता हॉलसेल भण्डार, बूंदी को परिवादी से 25 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।